न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 162 / 2025

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
1. केसर कंवर पत्नी मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी धोलीया, फलौदी तह0 फलौदी जिला जोधपुर राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. श्री मुकेश भाटी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक –20/08/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम बागावास, पटवार हल्का घाकडी, भू.अ.नि.क्षे. शिवपुरा तहसील सोजत में सम्वत् 2066 से 2069 की जमाबन्दी अनुसार खसरा नम्बर 1207 रकबा 1.1776 हैक्टर की खरीदसुदा, खातेदारीसुदा, कब्जाकाश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है, जिस खसरा नम्बर 1207 रकबा 1.1776 हैक्टर की कृषि भूमि में से रकबा 0.2000 हैक्टर की कृषि भूमि को प्रार्थीया द्वारा जरिये सरेण्डरनामा दिनांक 10/09/2012 को राजस्थान सरकार के पक्ष में गैर मुमकीन रास्ते के प्रयोजनार्थ सरेण्डर कर दी थी, जिस सरेण्डरनामा दिनांक 10/09/2012 की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न है। प्रार्थीया द्वारा जरिये सरेण्डरनामा दिनांक 10/09/2012 को सरेण्डर की गई कृषि भूमि रकबा 0.2000 हैक्टर के तहत म्यूटेशन नम्बर 1358 दिनांक 17/12/2012 तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 1207/2 रकबा 0.2000 हैक्टर राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। प्रार्थीया द्वारा निष्पादित सरेण्डरनामा में प्रार्थीया द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि उक्त कृषि भूमि रकबा 0.2000 हैक्टर सदैव रास्ते के प्रयोजनार्थ ही प्रयुक्त होती आई है तथा आगे भी रास्ते के प्रयोजनार्थ ही प्रयुक्त होगी व उपयोग ली जायेगी, परन्तु पटवार हल्का बागावास द्वारा खसरा नम्बर 1207/2 रकबा 0.2000 हैक्टर की कृषि भूमि को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करते समय कृषि भूमि की किस्म को परिवर्तित नहीं कर त्रुटीवश किस्म बारामी दोयम ही दर्ज कर दी, जबकि सरेण्डनामा दिनांक 10/09/2012 के अनुसार खसरा नम्बर 1207/2 रकबा 0.2000 हैक्टर की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज की जानी चाहिये थी, उक्त कृषि किस्म सम्बंधित त्रुटी पैन ऑफ मिस्टेक से हुई मानवीय व लिपिकिय त्रुटी है, जिसे दुरूस्त किया जाकर किस्म बारामी दोयम के स्थान पर किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है, इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी, सोजत (राज.)

मय शपथ पत्र पेश कर सरहद मौजा ग्राम बागावास तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1207/2 रकबा 0.2000 हैक्टर की कृषि भूमि की किस्म बारामी दोयम के स्थान पर किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने एवम् राजस्व रेकर्ड में संशोधन करने का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा बागावास में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 3 का जवाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 4 से 5 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/2025/1047 दिनांक 30.07.2025 के जरिये प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बागावास के ना0सं0 1358 दिनांक 17.11.2012 तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक/राज/11/2370 दिनांक 08.10.2012 की पालना में प्रार्थीया द्वारा रास्ता प्रयोजनार्थ समर्पित भूमि का नामा0 भरा गया। जिसमें खसरा नंबर 1207 रकबा 0.9760 किस्म बा0दो0 में से नये खसरा नंबर 1207/2 रकबा 0.20 है0 किस्म बा0दो0, सिवायचक राज सरकार दर्ज किया गया, शेष भूमि नए ख0नं0 1207/3 रकबा 0.06 है0 किस्म बा0दो0 एवं ख0नं0 1207 रकबा 0.7160 है0 किस्म बा0 दो0 खाता बदस्तुर रहा। मौके पर ख0न0 1207/2 रकबा 0.20 है0 वर्तमान में रास्ता हेतु उपयोग हो रही है तथा मौके पर रास्ता सुचारू हैं, की रिपोर्ट पेश की, जो सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा ग्राम बागावास तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1207/2 रकबा 0.2000 हैक्टर की कृषि भूमि की किस्म बारामी दोयम के स्थान पर किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने एवम् राजस्व रेकर्ड में संशोधन करने का आदेश प्रदान किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत मय हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि ना0स0 1358 दिनांक 17.11.2012 को रास्ता प्रयोजनार्थ समर्पित भूमि का नामा0 भरा गया। जिसमें मूल खसरा नं0 1207 रकबा 0.9760 किस्म बा0दो0 में से नए खसरा नंबर 1207/2 रकबा 0.20 है0 किस्म बा0दो0 सिवायचक राज सरकार दर्ज किया गया। जबकि सिवायचक ख0नं0 1207/2 की किस्म बा0दो0 के स्थान पर गै0मु0

उपखण्ड अधिकारी,

रास्ता दर्ज की जानी चाहिए थी। पत्रावली में उपलब्ध सरेण्डरनामा, नामा0 सं0 1358 तथा जमाबंदी सम्वत् 2066 खाता सं0 191 से भी उक्त त्रुटि का होना स्पष्ट होता हैं। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज खसरा नम्बर 1207/2 रकबा 0.2000 हैक्टर की कृषि भूमि की किस्म बारानी दोयम के स्थान पर किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाना उचित समझते हैं।

–ः आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा ग्राम बागावास तहसील सोजत के खसरा नम्बर 1207/2 रकबा 0.2000 हैक्टर की कृषि भूमि की किस्म बारानी दोयम के स्थान पर किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है, तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 20/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत